

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस,

मुकदमा नम्बर :-74/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमति बबीता पत्नि महावीर मेहता, उम्र बालिग निवासी सेशन कोर्ट के सामने, भीलवाड़ा
तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादिया

बनाम

- 1—श्री लालाराम पिता चतरभुज मुतबन्ना बक्षा गाडरी, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 2—श्री खेमराज पिता चतरभुज मुतबन्ना बक्षा गाडरी, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3—श्री महेश पिता सुन्दरलाल भंडारी, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4—श्री भोना पिता गणेश गाडरी, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———प्रतिवादीगण

वादिया की ओर से श्री मांगीलाल सैन, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 15.3.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन के वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1—श्रीमति बबीता पत्नि महावीर मेहता, उम्र बालिग निवासी सेशन कोर्ट के सामने, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादिया के नाम हक व हिस्से अनुसार निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर

रकबा

लगान

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

388	-	19 बिस्वा	0-94
389	-	15 बिस्वा	-
391/1	-	07.10 बिस्वा	-
कुल किता 3 रकबा 2 बीघा		01.10 बिस्वा लगान	0.94

2-श्री लालाराम पिता चतरभुज मुतबन्ना बक्षा गाडरी, उग्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
395/1	-	10.10 बिस्वा 0.46
394/2	-	10.05 बिस्वा -
कुल किता 2 रकबा 1 बीघा	00.15 बिस्वा लगान	0.46

3-श्री खेमराज पिता चतरभुज मुतबन्ना बक्षा गाडरी, उग्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 2 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
395/2	-	10.10 बिस्वा 0.47
394/3	-	10.05 बिस्वा -
कुल किता 2 लगान 1 बीघा	00.15 बिस्वा लगान	0.47

4-श्री महेश पिता सुन्दरलाल भंडारी, उग्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 3 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
391/2	-	11.10 बिस्वा 1.40
390	1 बीघा	- बिस्वा -
393	1 बीघा	02.00 बिस्वा -
392/1	-	08.15 बिस्वा -
कुल किता 4 रकबा 3 बीघा	02.05 बिस्वा लगान	1.40

-श्री भोना पिता गणेश गाडरी, उग्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 4 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
392 / 2	—	16.05 बिस्वा
394 / 1	—	04.10 बिस्वा
कुल कित्ता 2 रकबा	1 बीघा	00.15 बिस्वा लगान 0.46

उक्तानुसार भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक व हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.एस.

उपसुपड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला (भीलवाड़ा)

आज दिनांक 15.3.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की

गयी।

उपसुपड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला (भीलवाड़ा)